न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण स 55/2020 Gems No. 2020/00136
दायरा तिथि : 21.10.2020
आदेश दिनांक: 03-08-2022

प्रार्थी :–
श्री कमलराज पुत्र रामगोपाल जाति अग्रवाल
निवासी फालना तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. श्रीमति दीवान कंवर पत्नि दलपतसिंहजी जाति राजपूत
   निवासी पराखिया तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::–

दिनांक : 03-08-2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर ग्राम जादरी तहसील बाली में स्थित अप्रार्थी संख्या–01 की खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 75/449 रकबा 1.00 हैक्टर की नक्शे में भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् मौका स्थिति के विपरित त्रुटिपुर्ण तरमीम होने से इन्द्राज दुरस्ती के माध्यम से तरमीम शुद्धि किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा इसके निम्न आधार बतायेः–

1. कि ग्राम जादरी तहसील में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 74, 75 रकबा क्रमशः 2.92 हैक्टर, 0.88 हैक्टर कुल रकबा 3.80 हैक्टर स्थित है। जिसके गत् खसरा नंबर 167 कुल रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा रहे हैं।
2. कि उक्त विवरण की कृषि भूमि के अडोअड अप्रार्थी संख्या–01 के खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 75/449 रकबा 1.00 हैक्टर आयी हुई हैं।
3. कि वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 75/449 रकबा 1.00 हैक्टर गत् खसरा नंबर 167 का कभी भी हिस्सा नहीं रही हैं। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार गत् खसरा नंबर 167 का हिस्सा होना भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटलमेंट कार्यवाही के दौरान् तैयार मिलान क्षैत्रफल में दर्शाया गया है। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 75/449 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म बारानी दोयम पहले श्रीमति पवन देवी पत्नि वनाराम चौधरी निवासी खुडाला को वर्ष1992 में बतौर गैर खातेदार आवंटित की गयी थी एवं वर्ष 2003 में नामान्तरकरण संख्या 275 के द्वारा श्रीमति पवनदेवी को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया है। पवनदेवी के बेचान करने से अप्रार्थी संख्या–01 का नाम दर्ज किया गया है।
4. कि वादग्रस्त कृषि भूमि के पूर्व खातेदार ने यह जानते हुए कि वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 75/449 रकबा 1.00 हैक्टर कभी भी गत् खसरा नंबर 167 का भू0भाग नहीं रहा है। इसके बावजुद राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर राजस्व रेकर्ड में स्वयं की कृषि भूमि को स्वयं की सुविधा अनुसार तरमीम करवाया हैं। जिससे प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं।
5. कि प्रार्थी अथवा उक्त कृषि भूमि के अन्य सह खातेदारान् ने कृषि भूमि खसरा नंबर 74, 75 रकबा क्रमशः 2.92 हैक्टर, 0.88 हैक्टर कुल रकबा 3.80 हैक्टर बाबत् अप्रार्थी संख्या–01 के हक में कोई सहमति पत्र प्रदत्त नहीं किया हैं।
6. कि सैटलमेन्ट से पूर्व की अंतिम खतौनी/ अंतिम नामान्तरकरण भू0 अधिकार अभिलेखों में उल्लेखित इन्द्राजो को हाल रेकर्ड में दोहराया जाना कानून आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। विवादित कृषि भूमि के भू0 अधिकार अभिलेखों में उल्लेखित गलत इन्द्राजो को विपित कर पूर्व इन्द्राजो को दोहराने के लिये इन्द्राज दुरस्ती का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है पूर्व इन्द्राजो को दोहराने के लिये प्रार्थी द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इन्द्राज दुरस्ती बाबत् प्रस्तुत किया जा रहा है।
7. कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद हेतूक बमुकाम ग्राम जादरी में पैदा हुआ जबकि विवादित कृषि भूमि वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 75/449 रकबा 1.00 हैक्टर गत् खसरा नंबर 167 का कभी भी हिस्सा नही रही हैं। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार 167 होना बताया हैं। भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान् तैयार किये गये मिलान क्षैत्रफल से हाल खसरा नंबर 77/449 को गत् ख्सरा नंबर 167 से ही बनना पाये जाने, वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 75/449 रकबा 1.00 हैक्टर कभी भी गत् खसरा नंबर 167 का भू0 भाग नहीं रहा हैं। इसके बावजूद राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर राजस्व रेकर्ड में स्वयं की कृषि भूमि को स्वयं की सुविधा अनुसार तरमीम करवाये जाने पर पैदा हुआ जो हेतूक आज भी निन्तर जारी हैं।

इन आधारो पर ग्राम जादरी तहसील बाली स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 75/449 रकबा 1.00 हैक्टर की भू0 अधिकार अभिलेखों से की गई तरमीम को विलोपित कर दुरस्ती का आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया।

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

**राजस्व विविध प्रकरण स 55/2020 Gcms No. 2020/00136**
**अनवान कमलराज बनाम दीवानकंवर वगैरा**
***अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम, 1956***

प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में प्रार्थी पक्ष द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की मौजुदा जमाबंदी की प्रति, मिलान क्षैत्रफल की प्रति, ग्राम जादरी के गत् खसरा नंबर 167 की खतौनी संवत् 2026 से 2029 की प्रमाणित प्रति, गत् खसरा नंबर 167 के राजस्व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति, प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 74, 75 की खेवट खतौनी की प्रति, हाल खसरा नंबर 75/449 के भूमि आवंटन नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति, हाल खसरा नंबर 75/449 के नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति पेश की गई।

प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या–01 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सबंध में प्राथमिक आपत्तियॉ एवं जवाब निम्नानुसार पेश किया:–

प्राथमिक आपत्तियॉ

1. कि प्रार्थी ने अपने इन्द्राज दुरस्ती के उक्त प्रार्थना में यह कहीं पर प्रदर्शित नहीं किया हैं कि वह हाल सैटलमेन्ट संवत् 2037 के पूर्व राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज रहा है। इन्द्राज दुरस्ती का प्रार्थना पत्र वह व्यक्ति पेश कर सकता है जो हाल सैटलमेंट के पूर्व के रेकर्ड में खातेदार दर्ज रहा हो और नये राजस्व रेकर्ड में उसके पुराने राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार इन्द्राज नहीं किया गया हो। जिस कारण प्रार्थी का इन्द्राज दुरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या काबिल खारिज है।
2. कि हाल खसरा नंबर 74 व 75 का प्रार्थी ने अपने आप को खातेदार दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि खसरा नंबर 74 व 75 में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा दर्ज है तथा 1/4 हिस्सा भंवरसिंह पुत्र जसराजजी श्रीसेला व 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या–01 दीवान कंवर पत्नि दलपतसिंह राजपूत निवासी पराखिया का आता हैं। प्रार्थी ने अन्य सह खातेदारो की बिना सहमति के इन्द्राज दुरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज हैं।

इन आपत्तियों के साथ प्रार्थना पत्र का पैरा वाईज जवाब निम्नानुसार पेश किया:–

1. प्रार्थना पत्र का पद संख्या–01 सही होने से स्वीकार है।
2. प्रार्थना पत्र का पद संख्या–02 अनुसार खसरा नंबर 75/449 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि हाल सैटलमेन्ट संवत् 2037 के दौरान् खसरा नंबर 75 से अलग करने के बाद से ही अलग नंबर दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जो खसरा नंबर 74 के अडोअड नहीं होकर इस खसरा नंबर से बहुत दुर खसरा नंबर 75 के अडोअड हैं।
3. प्रार्थना पत्र का पद संख्या 03 इस हद तक गलत हैं कि हाल खसरा नंबर 75/449 रकबा 1.00 हैक्टर गत् खसरा नंबर 167 का कभी भी हिस्सा नहीं रहा हैं। मिलान क्षैत्रफल व खसरा पत्रक में हाल खसरा नंबर 75/449 को पुराने खसरा नंबर 167 से बनना दर्शाया गया है जो सही हैं यह सही हैं कि हाल खसरा नंबर 75/449 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि मौके पर खाली पडी थी व सिवाय चक होने से वर्ष 1992 में श्रीमति पवनीदेवी पत्नि वनाराम चौधरी निवासी खुडाला को आवंटन हुई थी। वक्त आवंटन मौके पर पवनीदेवी को कब्जा सुपुर्द किया गया था तथा पवनी देवी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना करने पर सन् 2003 में नामान्तरकरण संख्या 275 के द्वारा पवनीदेवी को गैर खातेदारी से खातेदारी हक प्राप्त हुये हैं। पवनीदेवी द्वारा तारीख 18.03.2006 को उक्त कृषि भूमि का अप्रार्थी संख्या–01 दीवानकंवर व अन्य श्रीमति रेखाकंवर पत्नि प्रेमसिंहजी जाति राजपुत (रावणा) निवासी फालनागांव को बेचान की गई। जिस बेचान दस्तावेज के आधार पर दोनो खरीददारो का नाम संवत् 2065 से 2068 में नाम दर्ज हुआ। बाद में श्रीमति रेखा कंवर ने अपनी खरीदशुदा 1/2 हिस्सा खसरा नंबर 75/449 का अप्रार्थी संख्या–01 दीवानकंवर को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 15.10.2009 को बेचान कर दी। जिस बेचान के आधार पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 520 दिनांक 4.12.20009 द्वारा सम्पूर्ण खसरा नंबर 75/449 रकबा 1.00 हैक्टर का खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या–01 बनी है, जो इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 की जमाबंदी में दर्ज हैं उसके बाद उपरोक्त खसरा नंबर 75/449 के सम्पूर्ण रकबा 1.00 हैक्टर की खातेदारी अप्रार्थी संख्या–01 के नाम दर्ज हुई है जो आज दिन तक चल रही हैं।
4. कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 गलत होने से अस्वीकार हैं खसरा नंबर 75/449 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि को अप्रार्थी संख्या–01 ने सैटलमेंट कर्मचारियो से मिली भगत कर राजस्व रेकर्ड में अपने स्वयं के नाम दर्ज नहीं करवाया था बल्कि अप्रार्थी संख्या–01 ने तारीख 18.03.2006 को भूमि खरीद की उसके बाद खातेदार बनी हैं। सैटलमेंट जब चालू था तब अप्रार्थीगण की तरफ से जरूर सहायक भू0प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर केम्प खुडाला में तारीख 11.08.1983 को प्रार्थना पत्र पेश कर अपना नाम इन्द्राज कर पर्चा लगान (पट्टा) प्राप्त किया था जिस प्रार्थना पत्र के आधार पर सहायक भू0 अभिलेख अधिकारी एवं सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी जोधपुर ने पत्रावली संख्या 1209/83 दिनांक 20.08.1983 को कायम की एवं तारीख 14.12.1983 को निर्णय पारित

पेज लगातार.....

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

**राजस्व विविध प्रकरण स 55/2020 Gems No. 2020/00136**
**अनवान कमलराज बनाम दीयानकंवर वगैरा**
***अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956***

कर प्रार्थी एवं उसके सह खातेदार भंवरसिंह पुत्र जसराज पुरोहित के नाम खसरा नंबर 74 रकबा 2.95 हैक्टर व खसरा नंबर 75 रकबा 0.88 हैक्टर का 1/2 हिस्सा का खातेदार दर्ज किया था। उसके पूर्व से ही खसरा नंबर 75/449 रकबा 1.00 हैक्टर अलग खाते में सिवायचक दर्ज हो गया था जो सैटलमेंट बन्द होने के करीब 10 वर्ष बाद पवनीदेवी को आवंटन की गई थी। इस प्रकार प्रार्थीगण को वर्ष 1983 से खसरा नंबर 75/449 सिवायचक होने की जानकारी रही हैं। अप्रार्थी संख्या–01 ने तरमीम नहीं करवाया बल्कि सैटलमेन्ट के समय से ही प्रार्थीगण द्वारा भूमि खरीदने के पहले से ही दर्ज रहा है जिस बाबत् प्रार्थी ऐतराज करने के अधिकारी नहीं हैं। यहां यह भी उल्लेख करना उचित रहेगा कि खसरा नंबर 74 व 75 में अप्रार्थी संख्या–01 भी 1/2 हिस्से की खातेदार दर्ज है। इसकी कोई सहमति धारा 136 राज. भूराज. अधिनियम, 1956 का प्रार्थना पत्र पेश करने से पुर्व नहीं ली गई हैं।

5. प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 के अनुसार खसरा नंबर 74 व 75 रकबा 3.80 हैक्टर मेंसे अप्रार्थी संख्या 01 ने 1/2 हिस्सा समय समय पर खरीद किया है जिस बाबत् प्रार्थी की सहमति की कतई आवश्कता नहीं हैं।
6. प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 गलत होने से अस्वीकार हैं। सैटलमेन्ट के पूर्व विवादित कृषि भूमि के प्रार्थी खातेदार नहीं थे जिस कारण उनको नये रेकर्ड में अपने इन्द्राज को दुरस्त करवाने का अधिकार नहीं रहा है न ही प्रार्थी का कोई लोकश स्टेन्डाईज धारा 136 का प्रकरण दर्ज करने हेतु बनता हैं। जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।
7. प्रार्थना पत्र का पद संख्या 07 गलत होने से अस्वीकार है। प्रथम तो प्रार्थी खसरा नंबर 75/449 के नये व पुराने रेकर्ड के इन्द्राज को चुनौती देने के अधिकारी नहीं है एवं न ही इस खसरा नंबर बाबत् इन्द्राज दुरस्त करवाने के अधिकारी है, क्योंकि उनके द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि के खसरा नंबर 74 व 75 के रकबे में या इनकी खातेदारी के हिस्से में कोई बदलाव नहीं हुआ हैं। अप्रार्थी संख्या–01 व प्रार्थी स्वयं हाल सैटलमेन्ट के पूर्व न तो खसरा नंबर 167 के खातेदार थे न ही इस भूमि के नये खसरा नंबर में सैटलमेन्ट कर्मचारियो से मिलीभगत कर अप्रार्थी ने कोई बदलाव कराया है। सैटलमेन्ट के दौरान् ही खसरा नंबर 75/449 रकबा 1.00 हैक्टर अलग तरमीम होकर सिवाय चक दर्ज हो गया था। जो सैटलमेन्ट बन्द होने के 10 वर्षो बाद राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन व निर्देशो के अनुपालना में भूमि पवनीदेवी को आवंटन की गई थी तथा उसको भी 10 वर्षो बाद गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त हुई उसके बाद भूमि अप्रार्थी संख्या–01 व अन्य ने खरीद की जिसका पूर्ण विवरण जवाब प्रार्थना पत्र के पूर्व पदो में किया जा चुका है। इस प्रकार वर्ष 1983 से प्रार्थी को खसरा नंबर 75/449 अलग तरमीम होने की जानकारी रही है तथा 37 वर्षो बाद केवल मात्र अप्रार्थी संख्या–01 को तंग व परेशान करने हेतू उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्पष्ट रूप से मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

अप्रार्थी पक्ष द्वारा जवाब में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 75/449 की जमाबंदी संवत् 2053 से 2056 की प्रति, जमाबंदी संवत् 2057 से 2060 की प्रति, जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 की प्रति, जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 की प्रति, जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 की प्रति, रजिस्ट्री दिनांक 18.03.2006 की प्रति, रजिस्ट्री दिनांक 15.10.2009 भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् कायम पत्रावली संख्या 1209/83 की प्रति, नक्शा ट्रेस दिनांक 21.12.2014 की फोटो प्रति पेश की गई।

प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष की ओर से आपत्ति व जवाब प्रस्तुत होने से पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थी श्री दिनेश गहलोत ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि ग्राम जादरी में स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 167 से बने हाल खसरा नंबर 74 व 75 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि रही है, परन्तु भू0 प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो द्वारा बन्दोवस्त कार्यवाही के दौरान् तैयार मिलान क्षैत्रफल में गत् खसरा नंबर 167 से हाल खसरा नंबर 75/449 को बनना त्रुटिपुर्ण तौर पर दर्शित कर दिया तथा अप्रार्थी स्वयं ने अपनी सुविधा अनुसार नक्शे में भी तरमीम करवा दिया है। जबकि अप्रार्थी संख्या–01 की खातेदारी भूमि ग्राम जादरी के हाल खसरा नंब 75/449 रकबा 1.00 हैक्टर कभी भी गत् खसरा नंबर 167 अथवा उसे बने हाल खसरा नंबर 74 व 75 का भाग नहीं रहा है। जिससे भू0प्रबन्ध विभाग व राजस्व अधिकारियो कर्मचारियो द्वारा अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 75/449 की प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा नंबर 74 व 75 के भाग में की गई तरमीम को दुरस्ती के माध्यम से शुद्ध किये जान की दलील दी गई। वकील प्रार्थी की दलीलो का खण्डंन करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01 श्री शान्तिलाल चौधरी द्वारा बहस में जवाब व आपत्ति में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी गई कि प्रार्थी सैटलमेन्ट पुर्व के अधिकार अभिलेखों में खातेदार नहीं था।

पेज लगातार........04

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

**राजस्व विविध प्रकरण स 55/2020 Gems No. 2020/00136**
**अनवान कमलराज बनाम दीवानकंवर वगैरा**
***अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम, 1956***

धारा 136 के तहत भू0प्रबन्ध विभाग के पुर्व के अधिकार अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज के अनुसार भू0प्रबन्ध बाद के अधिकार अभिलेखों में इन्द्राज नही होने की दशा में दुरस्ती का आवेदन किया जा सकता है। नक्शे में भू0प्रबन्ध के दौरान् किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना दस्तावेजो से साबित नहीं है, इसके साथ ही प्रार्थी ने रेकर्डेड सह खातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया है। जिससे नक्शे में तरमीम की गलती को धारा 136 के तहत नही सुधारा जा सकता। विद्वान् वकील प्रार्थी ने पुनः दलील दी कि सैटलमेन्ट से पहले प्रार्थी खातेदार नहीं था परन्तु रकबा वही है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया। उमय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में विधि के प्रावधानो का भी अवलोकन किया गया। धारा 136 में विधि के प्रावधानो अनुसार भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् भू0 प्रबन्ध विभाग के अधिकारियो द्वारा की गई लिपीकीय त्रुटि को दोनो पक्षो के सहमत होने पर उपखण्ड अधिकारी बतौर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर शुद्धि के आदेश दे सकता है। प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन नक्शे में तरमीम शुद्धि का पेश किया है, परन्तु प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि गत् खसरा नंबर 167 प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज था। अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो से यह प्रमाणित हैं कि प्रार्थी कमलराज व सह खातेदार भॅवरसिंह पुत्र जसराजी पुरोहित द्वारा दिनांक 25.10.1983 को सहायक भू0प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर केम्प बाली के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस आवेदन पत्र पर सहायक भू0प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर द्वारा पत्रावली संख्या 1201/83 दिनांक 20.08.1983 को कायम की गई तथा पक्षकारो की सुनवाई के बाद दिनांक 14.12.1983 को आदेश पारित किया गया। जिस आदेश की पालना में जयरूप पुत्र अजीतसिंह कौम पुरोहित हि. 1/2 की जगह खरीददार कमलराज पुत्र रामगोपाल अग्रवाल सा. फालना स्टेशन व भंवरलाल पुत्र जसराज कौम पुरोहित सा0 सेला 1/2 खातेदार दर्ज हुआ। व खसरा नंबर 75 की तरमीम होकर खसरा नंबर 75/449 भी नक्शे में वर्णित किया जाना प्रमाणित है। इसके साथ ही प्रकरण में यह भी स्वीकार तथ्य हैं कि खसरा नंबर 75/449 राजकीय सिवायचक होने से समस्या समाधान शिविर दिनांक 11.6.1992 को रकबा 1.00 हैक्टर भूमि पवनीदेवी को आवंटन हुई। जिस आवंटन की अनुपालना में पवनीदेवी गैर खातेदार दर्ज हुई। तथा आवंटन शर्तो की पालना पुर्ण किये जाने पर नामान्तरकरण संख्या 275 दिनांक 23.12.2003 को पवनीदेवी गैर खातेदार से खातेदार दर्ज हुई। दिनांक 18.03.2006 को पवनीदेवी पत्नि वनाराम चौधरी द्वारा भूमि का बेचान दिवानकंवर पत्नि दलपतसिंह एवं रेखाकंवर पत्नि प्रेमसिंह जाति राजपुत को करने से खसरा नंबर 75/449 रकबा 1.00 हैक्टर में खरीदकर्ता खातेदार दर्ज हुये। इसके बाद रेखाकंवर पत्नि प्रेमसिंह के द्वारा अपना 1/2 हिस्सा दिवानकंवर को बेचान करने से संपुर्ण खसरा में नामान्तरकरण संख्या 520 दिनांक 4.12.2009 से अप्रार्थी दिवानकंवर पत्नि दलपतसिंह खातेदार दर्ज हुई। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या–01 भूमि खरीद के पश्चात् खातेदार दर्ज हुई है, तथा वादग्रस्त भूमि जादरी के हाल खसरा नंबर 75/449 की तरमीम प्रार्थी पक्ष के आवेदन पर सहायक भू0 प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित आदेश से होना जाहिर है। सहायक भू0 प्रबन्ध अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी के अधिकार समान है। इसके साथ ही प्रकरण में प्रार्थी पक्ष यह साबित करने में असमर्थ रहा हैं कि खसरा नंबर 75/449 की तरमीम कब और कैसे हुई जिससे धारा 136 के तहत किसी प्रकार का दुरस्ती आदेश पारित किया जाना न्याय संगत नहीं हैं।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री [illegible] स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 03-08-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner